57

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. निग.–1922–दो/2016 विविध 1035-I/17

1. श्रीनाथ पुत्र श्री नंदकुमार,
2. विश्वनाथ पुत्र श्री नंदकुमार,
3. रंगनाथ पुत्र श्री नंदकुमार,

समस्त निवासीगण ग्राम छैलाई तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर जिला अशोकनगर (म.प्र.) **--आवेदकगण**

दिनांक 25.1.17 को श्री विनोद भार्गव अधि. द्वारा प्रस्तुत।

25.1.17

विरुद्ध

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री बद्रीप्रसाद निवासी– ग्राम धुर्रा तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर (म.प्र.)
2. राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 सारखेडी तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर (म.प्र.) **--अनावेदकगण**

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
25-1-2017

माननीय महोदय,

अनावेदक क्र. 1 का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, आवेदकगण ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के ओदश के विरुद्ध माननीय इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था, जिसका प्रकरण क्रमांक निग.–1922–दो/2016 में दिनांक 12/01/2017 को आदेश पारित किया गया है।

2. यहकि, लिपकीय त्रुटिवश आदेश के पैरा 2 के 9वीं लाईन में एवं 14 लाईन में सीमांकन आदेश दिनांक 05/06/2016 त्रुटिवश टंकित हो गया है। जबकि सीमांकन आदेश दिनांक 04/06/2016 टंकित होना था।

3. यहकि, सीमांकन आदेश दिनांक 05/06/2016 के स्थान पर सीमांकन आदेश दिनांक 04/06/2016 टंकित किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि न्याय हित में आवेदन स्वीकार कर सीमांकन आदेश दिनांक 05/06/2016 के स्थान पर सीमांकन आदेश दिनांक 04/06/2016 टंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9035–दो/17 जिला– अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
6.2.17	आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव उपस्थित। उनके द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निगरानी प्रकरण कमांक 1922–दो/16 में पारित आदेश दिनांक 12.1.17 के पैरा 2 की 9 वीं लाईन में एवं 14 लाईन में सीमांकन आदेश दिनांक 5.6.16 त्रुटिवश टंकित हो गया है जबकि सीमांकन आदेश दिनांक 4.6.16 टंकित होना था। 2– आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी प्रकरण कमांक 1922–दो/16 में पारित आदेश दिनांक 12.1.17 के पैरा 2 की 9 वीं लाईन में एवं 14 लाईन में सीमांकन आदेश दिनांक 5.6.16 के स्थान पर 4.6.16 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	